ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 216-220
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

भारत में सामाजिक सुरक्षा एवं संबंधित विकास योजनाएं

1.डॉ0 नूरजहां
2. प्रकाश चन्द्र

1. आचार्य – राजनीति विज्ञान, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, 2. शोध अध्येता– राजनीति विज्ञान महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय बीकानेर (राजस्थान), भारत

Received-21.09.2023, Revised-24.09.2023, Accepted-28.09.2023 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांशः ***सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक एवं विस्तृत अवधारणा है। सामाजिक सुरक्षा में समाज के साथ–साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक व आर्थिक विकास शामिल किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा में श्रमिकों, किसानों, सामान्य महिलाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, विधवा व परित्यागता महिलाओं, वृद्धजनों, बेरोजगारों, विकलांगों आदि सभी की सभी प्रकार से सुरक्षा व कल्याण को शामिल किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा में मुख्यतः बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, बेरोजगारों को रोजगार गारंटी या बेरोजगारी भत्ता, प्राकृतिक विपदा से पीड़ित लोगों को आर्थिक व खाद्य सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था करना, गर्भवती महिला के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा, देखभाल, पोषक पदार्थो की व्यवस्था करना, गर्भवती महिला कार्मिको को प्रसूता अवकाश, अस्वस्थ कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, दुर्घटना पर मुआवजा राशि, विकलांगता व अपगंता पर सहायता राशि देना, दिव्यांगों हेतु पृथक शैक्षणिक व्यवस्था, वृद्धजनों, विधवा, परित्यागता महिला हेतु पेंशन व्यवस्था, परिवार के मुखिया की मृत्यु पर वित्तीय सहायता देना, मजदूरों को न्यूनतम वेतन व रोजगार गारंटी देना, महामारी में निःशुल्क उपचार व टीकाकरण, नवजात शिशुओं का निःशुल्क टीकाकरण व दवाईयाँ, महिलाओं हेतु निःशुल्क प्रसव सुविधा, महिलाओं को पुरूषों के समान वेतन की गारंटी देना, परिवार नियोजन संबंधी निःशुल्क सुविधाएँ प्रदान करना, बेरोजगारों व महिलाओं को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण देना, किसानो, वृद्धजनों को बीमा उपलब्ध कराना, सामाजिक व आर्थिक रूप से निर्बल व पिछड़े वर्गो, अनु. जाति व अनु. जनजाति के शैक्षणिक उत्थान हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु उपहार योजनाएँ चलाना, बेघरों के लिए निःशुल्क आवास योजना आदि को शामिल किया जाता है।***

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, श्रमिकों, किसानों, सामान्य महिलाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, बेरोजगारों, रोजगार,

इन सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक योजनाओं को लागू किया गया है ताकि देश के नागरिको को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर एक सुरक्षित एवं सशक्त जीवन दिया जा सकें। ये योजनाएं निम्न प्रकार है–

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं–जननी सुरक्षा योजना– यह योजना केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण द्वारा 2005 में प्रारम्भ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली प्रसूता को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती हैं ताकि मातृ व शिशु मृत्यु दर मे कमी लायी जा सके साथ ही संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा मिले। इस योजना में शहरी प्रसूता महिला को 1000 रूपये प्रोत्साहन राशि व ग्रामीण प्रसूता महिला को 1400 रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार ने 1 जून 2011 को एक कार्यक्रम जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया हैं जिसमें माता व शिशु दोनो को सुरक्षा प्रदान की जाती हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना– माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'स्वच्छ ईंधन बेहतर' जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को इस योजना की शुरूआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को धुएं से रहित रसोई की व्यवस्था उपलब्ध करवाकर धुंआरहित ग्रामीण भारत का निर्माण करना है और 2019 तक 5 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाली गरीब महिलाओं को रियायती दर पर एल.पी.जी. कनेक्शन व सिलेण्डर उपलब्ध कराना हैं। इस योजना मे बीपीएल परिवार की महिलाओ को 1600 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सभी घरो मे गैस की सुविधा उपलब्ध कराना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना– यह योजना केवल योजना ना होकर एक जागरूकता अभियान हैं। इस बेटी बचाओ अभियान को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को पानीपत हरियाणा से प्रारम्भ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियो के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त कर लोगों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने व बालिका कल्याण की सभी योजनाओं को लागू कर बेटियों को वास्तव में लाभान्वित करना हैं अर्थात बेटियो के लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, शिक्षा को सुनिश्चित कराना व समाज मे भागीदारी बढ़ाना आदि शामिल हैं। राजस्थान में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा झुझनु जिले से प्रारम्भ की गई। राजस्थान मे यह योजना 10 जिलों में बालिकाओं के प्रति भेद–भाव को समाप्त करने, बालिकाओं को सशक्त बनाने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को समाज मे एक सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया हैं। यह योजना भी सामाजिक विकास और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक अहम् भूमिका निभा रही हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महानरेगा)– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को दिनांक 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। बाद मे इसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले सभी वयस्कों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर कुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो ऐसे वयस्कों को काम के लिए आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर काम पाने का हक होगा। अगर 15 दिन की अवधि मे काम

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

उपलब्ध नही कराया गया तो मजदूर बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिको को यथासंभव घर के समीप या 5 किमी के दायरे मे रोजगार दिया जाएगा। इस योजना मे प्रत्येक परिवार को एक साल मे 100 दिनो के रोजगार की गारंटी का हक हैं। इस योजना मे यदि कार्य के दौरान मजदूर को चोट लग जाए तो वह मुत इलाज का हकदार हो जाता हैं। अगर चोट के कारण अस्पताल मे भर्ती होगा तो उसे निःशुल्क इलाज के साथ–साथ न्यूनतम मजदूरी का आधा दैनिक भत्ते के रूप मे मिलेगा। यदि कार्य के दौरान मजदूर की दुर्घटनावंश मृत्यु हो जाती हैं तो उसका उत्तराधिकारी तथा मजदूर स्वयं स्थाई रूप से विकलांग हो जाए तो उसे स्वयं केन्द्र करकार द्वारा अधिसूचित अनुग्रह राशि पाने का हक हैं। इस योजना के अर्न्तगत कार्यस्थल पर शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, विश्राम स्थल तथा प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था भी की जाती हैं। इस योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को मिलता हैं जो परिवार स्थाई निवासी होते हैं। परिवार का प्रत्येक वयस्क इस अधिनियम के अर्न्तगत मजदूरी पा सकता हैं। इस योजना मे मजदूरी की दर केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती हैं। महिला और पुरूषों को समान दर से मजदूरी दी जाती हैं।

स्टैण्ड अप इण्डिया योजना– स्टैण्ड अप इण्डिया योजना 18 वर्ष से अधिक उम्र के अनु. जाति, अनु. जनजाति व महिला वर्ग को लाभान्वित करने हेतु प्रारम्भ की गई है। इस योजना मे केवल ग्रीनफिल्ड परियोजना के अन्तर्गत की सहायता की जाती है। यह योजना 5 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत अनु. जाति, जनजाति व महिला अभ्यर्थियो का अपना उद्यम प्रारम्भ करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड तक का व्यवसायिक ऋण दिया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना– यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रारम्भ की गई थी। इस योजना मे भू–धारक कृषकों के परिवार को कृषि, कृषि संबधी गतिविधियों, घरेलू आवश्यकताओं आदि को पुरा करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक भू–धारक किसान के परिवार को चार महीने मे 2000 रूपये की तीन किश्ते अर्थात कुल 6000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

आयुष्मान भारत योजना– आयुष्मान भारत योजना का केन्द्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव पर 25 सितम्बर 2018 को शुभारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग को स्वास्थ्य सुविधा व 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। यह योजना लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारो को लाभान्वित करने हेतु चलाई गई है। इस योजना मे ग्रामीण क्षेत्र मे कच्चे मकान, महिला मुखिया वाला परिवार, अवयस्क परिवार, परिवार मे दिव्यांग हो, अनु. जाति या अनु. जनजाति का हो, मजदूर, श्रमिक या भूमिहीन व्यक्ति हो, बेघर व निराश्रित, भिखारी, आदिवासी, कानून रूप से मुक्त बंधुआ आदि को शामिल किया गया है। इसके साथ शहरी क्षेत्र के भिखारी, कूड़ा उठाने वाले, सब्जीवाले, चर्मकार, घरेलू, व्यवसायिक, फेरी वाले, सड़क किनारे छोटी दुकान वाले, मकान निर्माण मे सहायक मजदूर, पानी–बिजली मिस्त्री, सुरक्षा गार्ड, कुली, भार उठाने वाले, सफाई कर्मी, हस्तकला वाले, ड्राईवर, दर्जी, रिक्शा चालक, दुकान पर कार्यरत कर्मी आदि इस योजना से लाभान्वित हो सकते है। 28 फरवरी 2018 तक के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड धारक ही आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो सकते है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियो को चिकित्सा सुविधा जैसे अस्पताल मे भर्ती होना, रजिस्ट्रेशन, दवाईयां, चिकित्सक परामर्श शुल्क आदि सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्वावलम्बन योजना– इस योजना को ग्रामीण महिलाओं, विधवा, परित्यागता, व गरीब महिलाओं के जीवन स्तर मे सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 मे शुरू किया गया। इस योजना मे महिलाओं को आर.एस.एल.डी.सी. और अन्य प्रशिक्षण संस्थानो द्वारा पारम्परिक व गैर पारम्परिक व्यवसायो जैसे– रेडीमेड गारमेन्ट्स, ब्युटीशियन, सॉट टायज् , कपड़े के बैग व अन्य आइटम बनाना, हैण्डमेड पेपर, लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं, पेंटिग, मुर्तिकला, सिलाई आदि मे आय जनक प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें स्वरोजगार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं से युवाओं को लाभान्वित करना एवं नवीन कार्य करने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है जिससे देश का युवा वर्ग नए–नए कार्यो को उत्कृष्ठता से कर नए कीर्तिमान स्थापित कर सके।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना– यह योजना बेटियो के लिए भविष्य में धन जमा करने के लिए यह योजना चलाई गई इस योजना में पी.पी.एफ. कि अपेक्षा ज्यादा ब्याज मिलता हैं। यह माता–पिता की टैक्स प्लानिंग में भी सहायक हैं। वर्तमान में 7.6 प्रतिशत ब्याज मिल रहा हैं। इस योजना के तहत 10 साल से छोटी बेटियो का खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता तभी खुलवा सकते जब आप प्राकृतिक या कानूनी रूप से माता–पिता हो। एक बेटी के नाम एक ही खाता खुलवा सकते हैं। मगर जुड़वा होने पर तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं। 18 साल पूर्ण होने पर ही इस खातें से रूपये निकाल सकते हैं।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना– यह योजना कमजोर वर्गों, कम आय और वंचित वर्गो को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे मूल बचत, बीमा तथा पेंशन उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ इसी खाते पर संभव हैं। इस योजना में एक लाख रूपये का बीमा कवर और जमा राशि पर ब्याज, 30,000 रू का बीमा उसकी मृत्युपरान्त सामान्य शर्तो पर देय होगा। परिवार की स्त्रियों के लिए 5,000/– रूपये तक ओवर ड्राट की सुविधा उपलब्ध हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– यह योजना 25 सितम्बर 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना में 15 से 35 वर्ष की आयु के गरीब ग्रामीण युवकों को नौकरियों मे नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का प्रयास किया गया हैं। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी कम करने का एक मिशन हैं। इस योजना मे ऐसे गरीब ग्रामीण युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाता हैं। जो कुशल होने के लिए तैयार हैं। इस योजना ने गांव के गरीब युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाकर एवं उन्हे

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

जागरूक बनाकर उन्हें एक नई पहचान प्रदान की हैं।

राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा संचालित योजनाएं– मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना– भारत देश व राजस्थान राज्य की सबसे ज्यादा लाभार्थियों द्वारां उपयोग में ली जाने वाली इस योजना की सुरूआत 2 अक्टूबर 2011 को गई। सरकारी चिकित्सालयों में रोगी को मुत दवा का लाभ दिया गया। इस योजना में 1594 प्रकार की दवाइयां, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स सहित 2707 दवाइयां, सर्जिकल व सूचर्स उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रदेश के सभी चिकित्साल्य में दवा वितरण हेतु 33 जिला मुख्यालयों पर 40 औषधि भण्डार गृह स्थापित हैं। इस योजना में आपातकालीन व इण्डोर दो प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। जो 24 घण्टे उपलब्ध रहती हैं। यह योजना राजस्थान के सभी नागरिकों को मुत दवा के द्वारा सामाजिक सुरक्षा मे सहायता प्रदान करती हैं।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना– यह योजना 7 अप्रेल 2013 से प्रारम्भ की गई । नागरिकों को सम्पूर्ण उपचार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई जिसका उदेश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराकर मानव जाति का कल्याण करना हैं। यह योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू की गई।

एक रूपये किलो गेहूं– यह योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई गई हैं राष्ट्र खाद्य सुरक्षा योजना के द्वारा अत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो ग्राम गेहुँ तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 5 किलो ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह एक रूपये किलो की दर से गेहूं दिया जाता हैं।

पालनहार योजना– यह योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गई हैं। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नही की जा सकती बल्कि बच्चों के निकटतम रिश्तेदार/ परिचित व्यक्ति/ वयस्क, भाई/ बहन को पालनहार बनाकर उसकी देखभाल, पालन पोषण हेतू अर्थात आर्थिक रूप से सरकारी सहायता प्रदान की जाती हैं। योजना के तहत अनाथ बच्चों, पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चों, एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता–पिता के बच्चों, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता–पिता के बच्चों, न्यायिक प्रकिया से मृत्युदण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता–पिता के बच्चों, विशेष योग्यजन माता–पिता के बच्चों, पेंशन प्राप्त कर रही परित्याक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों, सिलिकोसिस पीड़ित माता–पिता के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती हैं। पालनहार परिवार को वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार तक होनी चाहिए। बच्चों की आयु 18 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष तक राजस्थान में निवास कर रहे हो। जुलाई 2023 से राशि में वृद्धि की गई हैं। 0–6 वर्ष तक बच्चों को प्रतिमाह 500 रूपये सहायता राशि को बढ़ाकर 700 रूपये प्रतिमाह तथा 6–18 वर्ष आयु के बच्चों को 1000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमाह कर दी गई। विधवा व नाता श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी के बच्चों को 2000 रूपये वार्षिक एक किस्त सहायता प्रदान की जाएगी। वर्तमान में 2474 करोड़ रूपये का कर 6 लाख 87 हजार लाभार्थियो को लाभान्वित किया गया हैं। "पालनहार का दायित्व – पालनहार को ऐसे बच्चों को अपने घर मे रखना होगा एवं पालनहार द्वारा ऐसे बच्चों को घर मे परिवार जैसी सामान्य सुविधाएं देनी होगी। पालनहार द्वारा बच्चे के प्रति अपने बच्चों के समान व्यवहार, स्नेह एवं देख रेख करनी होगी। किसी भी स्थिति में बच्चे को अमानवीय/अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त नही होने देगें। पालनहार द्वारा बच्चों की देखरेख, शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाएगा।"

भामाशाह योजना– भामाशाह योजना राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदय् श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा अगस्त महीने में वर्ष 2014 में प्रारम्भ की गई। महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से जुड़ी इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ–साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा भी देना हैं। इस योजना में परिवार की महिला मुखिया के नाम से कार्ड जारी कर कार्ड को बैंक खाता से जोड़ा जाता हैं किन्तु महिला मुखिया का 21 वर्ष से अधिक उम्र की होना आवश्यक हैं। इस कार्ड के आधार पर लगभग 54 सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को नगद व गैर नगद रूप में मिलेगा। इस योजना का लाभ दिलाने हेतु राजस्थान में 35 हजार से भी अधिक भामाशाह कार्ड केन्द्र शुरू किये गए थे। 18 दिसम्बर 2019 को भामाशाह कार्ड योजना का नाम परिवर्तित कर नया नाम जनाधार कार्ड योजना रखा गया। इस कार्ड में 10 अंकीय पहचान संख्या अंकित होगी। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करके उनको विकास की दिशा में ले जाया जाएगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना– बालिकाओं के सर्वांगीण विकास, बालिकाओं के प्रति समाज मे सकारात्मक एवं सम्माननीय दृष्टिकोण उत्पन्न करने व उनके स्वास्थ्य एंव शैक्षिक स्थिति मे सुधार हेतु 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा किया गया। इस योजना की लाभार्थी राजकीय तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों मे प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता होती है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 6 किश्तो में प्रत्येक लाभार्थी को 50,000 रूपये की धनराशि देने का प्रावधान है। यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है। यह बेटियों के उत्थान की एक अनूठी योजना है।

राजस्थान आई.एम. शक्ति उड़ान योजना– मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 19 नवम्बर 2021 को इस योजना की शुरूआत की गई। यह योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं और महिलाओं को फ्री मे सेनेटरी पेड दिए जायेगें। जिनका वितरण विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उन्हे रोग मुक्त बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना हैं। इस योजना की जानकारी देने की जिम्मेदारी सरकार ने राजस्थान की महिला स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संस्थानों को दी हैं जो समय–समय पर इस योजना से संबंधी जागरूकता केम्पेन चलायेगें ताकि बालिकाओं और महिलाओं को इस योजना की

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

जानकारी प्राप्त हो सके। इस योजना के अर्न्तगत फ्री सेनेटरी नेपकीन हेतु राज्य सरकार द्वारा लगभग 200 करोड़ का बजट तय किया गया हैं। राजस्थान में मूल रूप से रह रही महिलाएं अथवा छात्राएं इस योजना की पात्र होगी । इस योजना मे मुख्य रूप से गावों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं को जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं जो शर्म के कारण या पैसे की कमी के कारण या अन्य कारणों से सेनेटरी नेपकीन नही खरीद सकती उन्हे सेनेटरी नेपकीन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

इंदिरा रसोई योजना– इस योजना का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य के सभी नगरीय निकायों में दिनांक 20.08.2020 को किया गया। इस योजना को लागू करने के पीछे राज्य सरकार का एक ही संकल्प हैं कि राज्य का कोई व्यक्ति भूखा ना सोये। इस योजना मे आर्थिक रूप से कमजोर या जरूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर दिया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत लाभार्थी को 8 रूपये प्रति थाली दोपहर का भोजन और 8 रूपये प्रति थाली रात्रि का भोजन दिया जाता हैं। इन्दिरा रसोई योजना एक सेवा भाव से जुड़ी योजना हैं जिसका एक ही उद्देश्य हैं राज्य का कोई व्यक्ति भूखा ना रहे उसे दो वक्त की रोटी उपलब्ध हो सके।

इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट फोन योजना– इस योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अगस्त 2023 को राजस्थान के निवासियो के लिए की गई। इस योजना मे राज्य की महिलाओं को फ्री मे स्मार्ट फोन वितरित किए गये। साथ ही 3 साल का फ्री इन्टरनेट रिचार्ज भी दिया जाएगा। यह फ्री स्मार्ट फोन परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा। इस फ्री मोबाइल को प्राप्त करने के लिए लिस्ट मे नाम होना भी आवश्यक हैं। जिन महिलाओं का जनआधार चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ हैं उसी परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

महिला मुखिया के अतिरिक्त राज्य मे ड्रीग्री या डिप्लोमा करने वाली या कक्षा 9 से 12वी तक सरकारी स्कूल मे पढ़ने वाली बालिकाओं को भी फ्री स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा। इसके अलावा नरेगा मे 100 दिन पूर्ण करने वाली और शहरी रोजगार मे 50 दिन पूरे करने वाली या पेंशनर या विधवा पेंशनर को भी फ्री स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों, शहरों, कस्बों आदि मे फ्री मोबाइल वितरण कैम्प लगाये जा रहे हैं। इस योजना में महिलाओं को अपनी पसंद का मोबाइल चुनने का अधिकार हैं। इस योजना के द्वारा महिलाओं को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़कर और उन्नत और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया हैं साथ ही महिलाओं का विकास कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है जिससे राजस्थान की महिलाओं मे खुशी की लहर आ गयी।

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 2023– यह योजना गहलोत सरकार द्वारा अगस्त 2023 में राज्य के 1 करोड़ 6 लाख गरीब परिवारों को हर माह निःशुल्क खाद्य–सामग्री एक पैकेट के रूप मे वितरित किये जायेगे। जिसमे 1 किलो दाल, चना, नमक, 100 ग्राम धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर, 1 लीटर तेल होगा।

इस प्रत्येक पैकट की कीमत 370 रूपये होगी। यह योजना राजस्थान मे काई भूखा ना सोये के उद्देश्य से व मंहगाई से राहत पाने के लिए शुरू की गई। इस योजना का लाभ राजस्थान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल सभी परिवार या जिन परिवारों को महामारी के दौरान 5500 रूपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा मिली हैं उनको मिलेगा। लाभार्थी राजस्थान का स्थायी नागरिक हैं वह इस योजना का लाभ ले सकता हैं।

लाभार्थियों को सहायता व रजिस्ट्रेशन हेतु हर गांव, शहर, कस्बें आदि जगह–जगह पर मंहगाई राहत कैम्प शुरू किए गये जिनमें रजिस्ट्रेशन के द्वारा कई सरकारी योजनओं का लाभ दिया जाएगा जैस – चिरंजीवी कार्ड दवा व बीमा, फ्री बिजली योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट आदि। इन योजनाओं का उपयोग कर विकासशील देश अपने देश की विकास की गति को तेज करतें हैं। भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई इन योजनाओं के द्वारा जरूरतमंदो व असहाय लोगो के विकास का प्रयास किया गया हैं।

अतः प्रस्तुत शोध पत्र में सामाजिक सुरक्षा संचालित योजनाओं (भारत एवं राज्य सरकार) का प्रस्तुतीकरण किया गया हैं। मुख्यतः इस शोध पत्र में 2005 से 2023 तक की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करके भारत देश के सामाजिक विकास को निरन्तर सतत् संचालित रखने में सरकारी प्रयासों को प्रस्तुत करके देश के विकास की गति से अवगत कराने का प्रयास किया गया तथा इस विषय से सम्बन्धित शोध कार्यो को दिशा देने का प्रयास भी किया गया हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, विकास कुमार, : योजनाएं – राजस्थान व भारत सरकार की प्रमुख धाणेराव गौरव सिंह योजनाएं, च्यवन प्रकाशन, जयपुर, 2023.
2. कोटड़ा, मनोहर सिंह, : राजस्थान सरकार की नवीनतम लैगशिप एवं अन्य रत्नु दीपा योजनाएं/कार्यक्रम, संजीव प्रकाशन, नई दिल्ली, 2022
3. आर्य, राकेश कुमार : भारतीय राश्ट्र की समस्यायें और उनके समाधान, संजीव प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011.
4. बनर्जी, डॉ. अनिन्दिता : बाल विकास, ग्रामीण पुस्तक भवन, प्रतापगढ़, उतरप्रदेश, 2010.
5. बसु, आचार्य, डॉ. दुर्गादास : भारत का संविधान–एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली 2006.
6. चौधरी, ओम प्रकाशः योजनाएं प्लस नीतिया, अवनी पब्लिकेशन राजस्थान, 2022.
7. बाबेल, डॉ. बन्तीलाल : पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं (राजस्थान के विशेष संदर्भ में),राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

जयपुर, 2019
सामाचार पत्र–पत्रिकाएं –
योजना मासिक पत्रिका
दैनिक भास्कर
प्रतियोगिता दर्पण
सुजस राजस्थान
वेबसाइटस –
http/www.rlsa.gov.in
http/www.wikipidia.com
http/www.scotbuzz.org
http/rsby.gov.in
http/google.com
http/www.dsg.gov.za

*****